



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1930 (श0)
(सं0 पटना 525) पटना, शुक्रवार, 14 नवम्बर 2008

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं
12 नवम्बर 2008

एस.ओ.सं0-3/मु. नियमावली- 15/2008 (खंड)-2882—न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (सं0-VII, 1870) की धारा 27 एवं धारा 34 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के न्यायालयों एवं कार्यालयों में फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा शुल्कों के भुगतान किए जाने के लिए निम्नलिखित नियमावली का गठन करते हैं: —

बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008

अध्याय-1

1. नाम, विस्तार एवं प्रारंभ— (1) यह नियमावली बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 कही जाएगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

फ्रैंकिंग मशीन के व्यवहार के लिए प्राधिकरण

अध्याय-11

2. उच्च न्यायालय सहित राज्य के अन्य न्यायालयों एवं अन्य कार्यालयों में न्यायालय शुल्कों एवं अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए डाकघरों के माध्यम से फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री की जाएगी।
3. मुख्य डाक महाध्यक्ष, बिहार अथवा निदेशक डाक सेवाएँ (मुख्यालय एवं विपणन) बिहार परिमण्डल अथवा मुख्य डाक महाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के लिखित अनुरोध पर न्यायालय परिसरों एवं अन्य कार्यालयों में फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायिक मुद्रांकों की बिक्री के लिए सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा इस नियमावली में उपाबद्ध प्रपत्र सं0-1 में प्राधिकार निर्गत किया जाएगा।
4. (क) फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए विहित प्राधिकरण शुल्क डाक विभाग द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा।
(ख) प्रत्येक मशीन के लिए प्राधिकरण शुल्क 500/-रु. (पांच सौ रूपए) होगा।

- (ग) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पूर्व प्राधिकरण का नवीकरण कराया जाएगा। प्रत्येक मशीन के लिए नवीकरण शुल्क 100/-रु. (एक सौ रूपया) होगा।
- (घ) नवीकरण के लिए मुख्य डाकमहाध्यक्ष, बिहार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के माह फरवरी के अंत तक फ्रैंकिंग मशीन के नवीकरण शुल्क रु. 100/- जमा किए जाने के उपरांत मशीन का प्राधिकार नवीकृत समझा जाएगा।
5. विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में फ्रैंकिंग मशीन में रकम की प्रविष्टि करने एवं मशीन को सील करने के लिए मुख्य डाक महाध्यक्ष अथवा निदेशक डाक सेवाएँ (मुख्यालय एवं विपणन) बिहार परिमण्डल द्वारा न्यायालय से संबद्ध डाकघर के वरीयतम डाकपाल को प्राधिकृत किया जाएगा। मुख्य डाकमहाध्यक्ष, बिहार के कार्यालय द्वारा ऐसे प्राधिकृत डाकपालों की सूची निबंधन महानिरीक्षक को भेजी जाएगी।
6. मुख्य डाक महाध्यक्ष, बिहार के कार्यालय द्वारा न्यायालयों एवं कार्यालयों में लगाए गए फ्रैंकिंग मशीनों का न्यायालयवार एवं कार्यालयवार पूर्ण विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर निबंधन महानिरीक्षक को भेजा जाएगा।
7. रकम की प्रविष्टि— (1) डाकघरों के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन से न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री के लिए फ्रैंकिंग मशीन में रकम की पूर्व प्रविष्टि नहीं की जाएगी।
- (2) फ्रैंकिंग मशीन में रकम की प्रविष्टि मोबाईल फोन की तरह PIN mailers के द्वारा की जाएगी।
- (3) प्रत्येक जिला में जिला अवर निबंधक के कार्यालय में पर्याप्त संख्या में PIN Mailers जिला अवर निबंधक की अभिरक्षा में रखे जाएँगे।
- (4) मशीन में रकम की प्रविष्टि एवं पुनः प्रविष्टि (refilling) के लिए डाक विभाग राज्य सरकार के पक्ष में चेक जारी करेगा। प्राधिकृत डाकपाल से चेक प्राप्त होने पर प्राधिकृत पदाधिकारी/संबंधित जिला अवर निबंधक द्वारा उतनी रकम का PIN mailer उक्त डाकपाल के नाम जारी किया जाएगा।
- (5) फ्रैंकिंग मशीन से न्यायालय मुद्रांकों की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत डाकपाल द्वारा एक दिन में सामान्यतः अधिकतम 1 (एक) लाख रूपए तक की राशि की प्रविष्टि की जाएगी तथा स्वयं सील किया जाएगा।
- परन्तु बिक्रय की जाने वाली अधिक राशि की आवश्यकता की विशेष परिस्थिति में एक दिन में 1 (एक) लाख तक की राशि के मशीन में दोबारा प्रविष्टि की जा सकेगी एवं उसे सील की जा सकेगी।
8. लेखा का संधारण – (1) जिला अवर निबंधक द्वारा इस नियमावली में उपाबद्ध प्रपत्र सं०-II में पिन मेलर्स (PIN Mailers) की लेखा की पंजी संधारित की जाएगी।
- पंजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम्प्यूटर में भी संधारित की जाएगी।
- (2) फ्रैंकिंग मशीन व्यवहार करने वाले डाकपाल द्वारा इस नियमावली में उपाबद्ध प्रपत्र सं०-III में एक पंजी संधारित की जाएगी जिसमें प्रतिदिन बिक्री की राशि का विवरण दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक दिन की समाप्ति पर दिनभर बेची गयी राशि एवं कमीशन की राशि के विवरण का प्रिंटआऊट उस डाकघर के मुख्य पदाधिकारी को दिया जाएगा।
- (3) डाकपाल द्वारा बेची गयी कुल राशि का दैनिक प्रतिवेदन संबंधित जिला अवर निबंधक को भेजा जाएगा। प्रत्येक पक्ष की समाप्ति के बाद पाक्षिक प्रतिवेदन भी संबंधित जिला अवर निबंधक को भेजा जाएगा।
- (4) प्राधिकरण शुल्क की राशि, नवीकरण शुल्क की राशि एवं पिन मेलर (PIN Mailer) के भुगतान हेतु निर्गत चेक की राशि का भुगतान "मुख्यशीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष-01- स्टाम्प न्यायिक, लघुशीर्ष-102-स्टाम्पों की बिक्री-0001-सकल प्राप्ति" में की जाएगी।
- (5) मुख्य डाकमहाध्यक्ष, बिहार के कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा की गयी न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री से प्राप्त राशि का प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह की समाप्ति पर निबंधन महानिरीक्षक को भेजा जाएगा।
9. **विविध** – (1) पक्षकारों से राशि प्राप्त कर उतनी राशि के समतुल्य न्यायिक मुद्रांकों के भुगतान होने का छाप आवेदन या दस्तावेज पर किया जाएगा।
- (2) सामान्यतः फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायालय शुल्क की राशि के भुगतान का छाप आवेदन या दस्तावेज के प्रथम पृष्ठ पर किया जाएगा।
- (3) शपथ-पत्र पर देय न्यायालय शुल्क सहित किसी आवेदन पर देय सभी प्रकार के न्यायालय शुल्क की कुल राशि का भुगतान एक छाप के द्वारा फ्रैंकिंग मशीन से की जा सकेगी।

- (4) इस नियमावली के अधीन फ़ैकिंग मशीन के द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री एवं न्यायालय शुल्कों की वसूली की प्रक्रिया के संबंध में सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।
- (5) न्यायालय में न्यायालय शुल्कों की वसूली के लिए फ़ैकिंग मशीन से न्यायालय मुद्रांकों की बिक्री लागू होने के साथ निजी अनुज्ञप्तिधारी बिक्रेताओं द्वारा न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)
न्यायालय फीस के भुगतान के लिए फ्रैंकिंग मशीन से न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री के लिए प्राधिकरण
(देखें नियम - 3)

प्राधिकरण संख्या :

दिनांक:

एतद् द्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (बिहार वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-25 के अधीन दस्तावेजों/लिखतों पर देय न्यायालय फीस के भुगतान के लिए श्री/श्रीमती.....
पदनाम:-.....
पता:-.....

- को फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा न्यायिक मुद्रांकों **Judicial Stamps** के बिक्रय के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2. यह प्राधिकरण निर्गत होने की तिथि से (तिथि) तक की अवधि के लिए है, तथा से पूर्व नवीकृत नहीं होने की स्थिति में उक्त तिथि से यह प्राधिकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा।
3. श्री/श्रीमती..... द्वारा कंपनी का नाम: -
आपूर्ति किए गए तथा नीचे दिए गए विवरण वाले फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा : -
(i) निर्माता कंपनी का नाम एवं पता: -
(ii) प्रदायकर्ता का नाम एवं पता: -
दूरभाष / फैक्स संख्या: -
(iii) मशीन का ब्रांड: -
(iv) मशीन का माडल: -
(v) मशीन की विनिर्माण संख्या: -
(vi) मीटरों की संख्या, यदि हो: -
(vii) फ्रैंक किए जाने का रेंज: -
(viii) एक बार में लोड की जाने वाली अधिकतम रकम: -
(ix) उपयोक्ता डाई का विवरण: -
4. यह प्राधिकरण बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा न्यायिक मुद्रांकों की बिक्री) नियमावली, 2008 की शर्तों के अधीन दिया जाता है एवं प्राधिकृत उपयोक्ता श्री/श्रीमती.....
पदनाम:-.....
पता:-.....
उक्त नियमावली के प्रावधानों का उचित अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

दिनांक:

प्राधिकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

12 नवम्बर 2008

एस0ओ0सं0-3/मु. नियमावली-15/2008-2882—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

The 12th November 2008

S.O.No.- 3/Mu. Niyamavali- 15/2008 (Part)-2882—In exercise of the power conferred under Section 27 and Section 34 of the Court Fees Act, 1870 (No.-VII of 1870), The Governor of Bihar makes the following rules to regulate the payment of court fees through Franking Machine in the Courts and offices of the State.

THE BIHAR COURT FEE (SALE OF STAMPS BY FRANKING MACHINE) RULES, 2008.

CHAPTER - I

1. Name, extent and commencement.—(1) This Rule shall be called The Bihar Court Fee (Sale of Stamps by Franking Machine) Rules, 2008.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of notification.

AUTHORISATION FOR USE OF FRANKING MACHINES.

CHAPTER -II

2. For payment of court fees in the High Court and other courts and offices of the State the court fee & other fee Stamps shall be sold by Franking Machines by the Post offices.
3. Authority for sale of stamps by Franking machines in the Court premises and offices shall be issued in Form No.-I appended to this rule by the Secretary, Department of Registration, Excise and Prohibition on written request of the Chief Post Master General, Bihar or Director Postal services (Headquarter & Marketing), Bihar Circle or by the Officer authorized by the Chief Post Master General.
4. (a) For the use of Franking Machine prescribed fee for authorization shall be paid to the State Government by the Department of Post.
(b) Authorization fee for each machine shall be Rs. 500/- (Rupees Five hundred).
(c) Every year before the 31st March, the authorization shall be renewed. The fee for renewal of each machine shall be Rs. 100/- (Rupees One hundred).
(d) The authorization of Franking shall be deemed to be renewed on deposit of renewal fee of Rs. 100/- by the end of February each year by the Chief Post Master General, Bihar or any Officer authorized by him.
5. For entry of amount in the Franking Machines and to seal the machine, the senior-most Post Master of the Post Office attached with the Courts & offices shall be authorized by the Chief Post Master General, Bihar or the Director, Postal Services (Headquarter and Marketing) Bihar Circle.

A list of such authorized Post Masters shall be sent to the Inspector General of Registration by the Office of the Chief Post Master General, Bihar.

6. At the end of every month a Court wise and office wise statement of Franking Machines installed in Courts & offices shall be sent by the office of the Chief Post Master General to the Inspector General of Registration.
7. Entry of amount.— (1) No pre-entry of an amount in the Franking Machine shall be made for sale of court fee stamps by Franking Machine by the Post Offices.
(2) Entry of amount in the Franking Machine shall be made through PIN Mailers like a mobile phone.

- (3) PIN Mailers shall be kept in the office of the District Sub-Registrar under the personal custody of the District Sub-Registrar.
- (4) For filling and refilling of amount in the machine the Department of Post shall issue a cheque. After receiving cheque from the authorized Post Master, the authorized Officer/the concerned District Sub-Registrar shall issue a PIN Mailer of that amount.
- (5) For sale of court fee stamps the Franking Machine shall be sealed for a maximum amount of one lakh rupees (Rs. 1 lakh) only once in a day by the Post Master of that Post office authorized for this purpose by the Chief Post Master General or the Director Postal Services (Headquarter and Marketing) Bihar Circle.

Provided that in a special circumstance on requirement of an excess amount, further amount of one lakh may be entered and sealed once more.

8. Maintenance of Account.- (1) An account register of PIN Mailers shall be maintained by the District Sub-Registrar in Form No.-II appended to this Rule.

The Register shall also be maintained in computer in electronic Form.

- (2) A register in Form No.-III appended to this Rule shall be maintained by the user Post Master of the Franking Machine in which a statement of amount sold each day shall be entered. At the closure of each day a printout of sold amount along with detail of amount of Commission shall be handed over to the Chief Officer of the Post Officer.
 - (3) A daily statement of sale of total amount shall be sent to the concerned District Sub-Registrar. After the end of each fortnight a fortnightly statement shall also be sent to the concerned District Sub-Registrar.
 - (4) Amount of authorization fee, amount of renewal fee and the amount of cheque for payment of PIN Mailer shall be paid under "Major head-2030-Stamp and Registration-Sub major head-01-Stamp judicial-Minor head-102-Sale of Stamps-0001-Total Receipt".
 - (5) A statement of amount obtained from sale of judicial stamps deposited in the account of the State Government shall be sent to the Inspector General of Registration at the end of every week.
9. (1) Aggregate amount of all kinds of court fee chargeable for a petition including court fee payable for an affidavit may be paid by one impression by the Franking Machine.
- (2) Impression of amount for payment of court fee shall be generally impressed on the first page of the petition or the document.
 - (3) After receiving the amount from the parties, the impression of the payment of court fee of that amount shall be made on the petition or the document.
 - (4) Under this rules, Secretary, Department of Registration, Excise and Prohibition may issue instructions regarding the procedure of sale of court fee stamps and collection of court fee by the Post Offices through Franking Machine.
 - (5) With the implementation of sale of court fee stamps for the payment of court fees through franking machines, the system of sale of court fee stamps by private licenced vendors shall be totally stopped.

By Order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Secretary to the Government.

Government of Bihar
Department of Registration, Excise & Prohibition
(Registration)
Authorization for Payment of Court fees by sale of judicial stamp through Franking Machine
[See Rule - 3]

Authorization No. : Date :

Sri/Smt.:....., Designation:.....,
Address:
authorized to sell judicial stamps for payment of stamp duty on documents/instruments through Franking Machine under the provision of the Court fees Act, 1870 (As amended by Bihar Finance Act, 2006).

2. This authorization shall be valid for the period from the date of issue up to (date) and in case of not being renewed before this authorization shall expire automatically from

3. The Franking Machine supplied by (Name of manufacturing company) and of the following descriptions shall be used by Sri/Smt.

(i) Name and address of the manufacturing company :.....
(ii) Name and address of the supplier :

Phone number/FAX :

(iii) Brand of the machine :

(iv) Model of the machine :

(v) Manufacturing no. and year of the machine :

(vi) No. of meters if any :

(vii) Range of Franking :

(viii) Maximum amount to be loaded at one time :

(ix) Particulars of user's die :

4. This authorization is given under the conditions set forth in the Bihar Court fees (Sale of Judicial Stamps by Franking Machine) Rules, 2008 and the authorized user Sri/Smt....., Designation :....., Address : shall be bound to abide properly by the provisions of the said Rule and the guidelines, issued by the Government from time to time in the connection.

Signature of the Authorizing Authority

Date :

Name :

Designation :

Form No.-III

Daily sale register of judicial stamps through Franking Machine
[See Rule - 8 (2)]

Name of Post Office :

Address :

Name of Authorised Post Master :

<i>Date</i>	<i>Number and amount of PIM Mailer</i>		<i>No. of Franking Machine</i>	<i>Total sale amount</i>	<i>Total amount of commission</i>	<i>Balance Number of PIN Mailer and amount at the closure of the day</i>		<i>Signature of authorized Post Master</i>
	<i>Number</i>	<i>Amount</i>				<i>Number</i>	<i>Amount</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 525-571+500-डी0टी0पी0।